संख्या-01/2017/2008/16-सत्ताईस-3-89 रिया/16

प्रेषक,

शिवाजी सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2017**

विषय : रिट याचिका संख्या-15874/2013 हरि नरायन व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-556/मु0अ0/अनि/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/यमुना, दिनांक 31.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि रिट याचिका संख्या-15874/2013 हरि नारायन व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 के अनुपालन की विधिक बाध्यता है।

अत: मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) द्वारा उपलब्ध कराए गए गणनाचक्र/ प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 के क्रम में धनाराशि रू0 2,20,728.00 लाख (रूपये दो लाख बीस हजार सात सौ अठ्ठाईस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/ अभियन्तागण/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-31-पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक)-050-भूमि-10-नहरें-1016-भू-प्रतिकर-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 /दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(2) तथा प्रस्तर-2(14) द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

शिवाजी सिंह
अनु सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) जिलाधिकारी, बस्ती।
(7) मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(8) कोषाधिकारी, बस्ती।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक बाढ मण्डल, बस्ती।
(10) अधिशासी अभियन्ता, बाढ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती।
(11) सिंचाई अनुभाग-9
(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-8
(13) वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवाजी सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।